



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032024-252560
CG-DL-E-02032024-252560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 956]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945

No. 956]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

सं. 64/2023

विषय: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से खाद्य वस्तुओं का निर्यात।

का.आ. 1001(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना सं. 20/2023 के पैरा 2 (iv) में निहित प्रावधान और दिनांक 24.05.2023 की अधिसूचना सं. 07/2023 के अनुरूप राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं का निर्यात अनुमत किया जाता है।

क्र.सं.	वस्तु का नाम	एचएस कोड	देश का नाम	मात्रा
1	गैर-बासमती सफेद चावल	10063090	तंजानिया (जांजीबार)	30,000 मी.ट.

क्र.सं.	वस्तु का नाम	एचएस कोड	देश का नाम	मात्रा
1	टूटे हुए चावल	10064000	जिबूटी	30,000 मी.ट.
2			गिनी बिसाऊ	50,000 मी.ट.

अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से उपर्युक्त खाद्य वस्तुओं का निर्यात अनुमत किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/191/049/एएम-24/ईसी/ई-37225]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Foreign Trade)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2024

No. 64/2023

Subject: Export of food commodities through National Cooperative Exports Limited (NCEL).

S.O. 1001(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 and in accordance with the provision contained in Para 2 (iv) of Notification No. 20/2023 dated 20.07.2023 and Notification No. 07/2023 dated 24.05.2023, export of following food commodities are permitted through National Cooperative Exports Limited (NCEL):—

S. No.	Commodity name	HS code	Country Name	Quantity
1	Non-Basmati White Rice	10063090	Tanzania (Zanzibar)	30,000 MT

S. No.	Commodity name	HS code	Country Name	Quantity
1	Broken Rice	10064000	Djibouti	30,000 MT
2			Guinea Bissau	50,000 MT

Effect of the Notification:

Export of above-mentioned food commodities are permitted through National Cooperative Exports Limited (NCEL).

[F. No. 01/91/191/049/AM-24/EC/E-37225]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.